रमज़ान की कज़ा को किसी कारण के आधार पर विलंब करने के बीच और उसे अकारण विलंब करने के बीच अंतर

﴿ الفرق بين تأخير قضاء رمضان بعذر وبين تأخيره بلا عذر ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ الفرق بين تأخير قضاء رمضان بعذر وبين تأخيره بلا عذر ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

रमज़ान की कज़ा को किसी कारण के आधार पर विलंब करने के बीच और उसे अकारण विलंब करने के बीच अंतर

प्रश्नः

उस आदमी के बारे में इस्लामी शरीयत का क्या हुक्म है जिसने रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा को किसी कारणवश दूसरे रमज़ान के बाद तक विलंब कर दिया तथा एक दूसरे आदमी ने उसे बिना किसी कारण के विलंब कर दिया ?

उत्तरः

जिस ने उसकी क़ज़ा को किसी शरई (वैध) कारण जैसे कि बीमारी इत्यादि के आधार पर विलंब कर दिया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान अल्लाह का फरमान है

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ٨٥]

"और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिंती पूरी करे।" (सूरतुल बक़रा : 185)

तथा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया :

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ٦]

"अतः तुम अपनी ताक़त भर अल्लाह से डरते रहो।" (सूरतुत तगाबुन : 16)

किन्तु जिस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के उसे विलंब कर दिया तो उसने अपने रब (पालनकर्ता) की अवहेलना की, उस पर उसकी क़ज़ा करने के साथ साथ तौबा करना और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना अनिवार्य है, जिसकी मात्रा शहर की प्रमुख खूराक जैसे कि चावल या अन्य किसी अनाज से एक साअ है, और तौल के द्वारा उसकी मात्रा लगभग ढेढ़ किलो ग्राम है। उस अनाज को रोज़ो रखने से पहले या उस के बाद, कुछ गरीबों में वितरित कर दिया जायेगा चाहे एक ही क्यों न हो। और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला है।

समाहतुश्शैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूओ फतावा इब्ने बाज़" (१५ / ३४३ - ३४४).